Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

Original Article

महिला सुरक्षा अधिनियमों के प्रति महिलाओं में जागरुकताः (उ.प्र.के श्रावस्ती जनपद के महिलाओं पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डॉ. वेद प्रकाश द्विवेदी
समाजशास्त्र विभाग, श्रावस्ती
Email: vedprakashd1991@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2026-180129
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 1(A)
Pp. 145-149
January - 2026
Submitted: 17 Dec. 2025
Revised: 27 Dec. 2025
Accepted: 12 Jan. 2026
Published: 31 Jan. 2026

सारांश

भारत को शदियों से पुरुष प्रधान देश माना जाता रहा है, इतिहास के पन्नों को पलटनें से पता चलता है, कि यहॉ पर महिलाओं के साथ अनेक भेद–भाव होता था कुछ समय काल को (वैदिक काल) छोड दिया जाय तो अनेक कालों में उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। उन्हे अनेक अधिकार व कर्तव्य से वंचित रखा गया था। यहॉ पर लगभग सभी समय में महिलाओं की आबादी पुरुषों के बराबर रही है। जनगणना 2011 के अनुसार भी महिलाओं की जनसंख्या 48.53 प्रतिशत है, जो पुरूषों के लगभग बराबर ही है। कोई भी देश इस आधी आबादी (महिला) को नजरन्दाज करके विकास नहीं कर सकता। वैसे भारत की 68.8 प्रतिशत जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) गाँवों में निवास करती हैं जहाँ पर शिक्षा का स्तर काफी निम्न है खासकर महिलाएं तमाम अधिकारों व कर्तव्यों से अनभिज्ञ रही हैं। आधुनिक युग में तमाम समाजसुधारकों के प्रयास व भारत के आजाद होनें के पश्चात् सरकार नें महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में लानें एवं उन्हें सशक्त बनानें के लिए अनेक विकास कार्यक्रमों का संचालन किया है तथा अनेक नियम कानून बनाया है जिससे महिलाएं भी पुरुषों के बराबर आकर साथ में कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सकें। प्रस्तुत शोधपत्र महिला सुरक्षा अधिनियमों के प्रति महिलाओं में जागरुकताः–उ0प्र0 के श्रावस्ती जनपद के महिलाओं पर आधारित हैं। उक्त शोधकार्य में शोधकर्त्ता द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है, सरकार द्वारा महिलाओं हेतु निर्मित तमाम नियम कानून के प्रति उनके जागरुकता का स्तर क्या है, वे उन तमाम अधिनियमों के बारे में जानती हैं कि नहीं, उसका लाभ उन्हे मिल रहा है कि नहीं। उ0प्र0 के श्रावस्ती जनपद की महिलाओं के जीवन स्तर में क्या परिवर्तन घटित हुआ है, महिलाएं क्या वास्तविक रूप से उन तमाम नियम कानूनों से सशक्त, स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर हुई हैं, महिलाओं का इसके सन्दर्भ में क्या विचार हैं।

मुख्य शब्द– *महिलाएं, जागरुकता, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, सशक्तिकरण, नियम–कानून*

प्रस्तावना

समाज में महिलाओं को उचित सम्मान व स्थान दिये बिना कोई भी विकास निरर्थक है। कहा गया है– ''जहॉ नारियों की पूजा होती है, वहॉ देवता भी निवास करते है।'' लगभग सभी देश महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु सतत प्रयत्नशील हैं और उन्हें सामाजिक–आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भागीदार बनाने का भरसक प्रयत्न भी किया जा रहा है। साथ ही सरकारों के द्वारा तमाम सरकारी विकास कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिससे महिलाएं पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, लेकिन समाज में पुरूष प्रधानता की प्रथा सदियो से चली आ रही होने के कारण उन्हें वह स्थान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वे हकदार हैं, उनके साथ लिंग भेद करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सुख सुविधा, स्वतंत्रता समानता आदि से वंचित किया जाता रहा है। उन्हें केवल गृहदासी, मनोरंजन की वस्तु समझकर घर की चाहार–दिवारी के अन्दर कैद कर दिया गया, जिससे उनका जीवन बद से बदतर हो गया।इस सीमा तक महिलाओं का शोषण एवं वंचना का शिकार होने पर उनमें भी अपने हितो के प्रति जागरूकता आयी। साथ ही इनके स्थिति में उतरोत्तर उन्नति के लिए तमाम समाज सुधारकों ने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से अपना अमूल्य योगदान दिया जिसमें भक्तिकाल के संत कबीरदास, तुकाराम, चैतन्य आदि तथा आधुनिक काल के राजाराम मोहनराय, स्वामी विवेकानन्द, महर्षि दयानन्द सरस्वती, महात्मा गॉधी आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
डॉ. वेद प्रकाश द्विवेदी, समाजशास्त्र विभाग, श्रावस्ती

How to cite this article:
द्विवेदी, . वेद . प्रकाश . (2026). महिला सुरक्षा अधिनियमों के प्रति महिलाओं में जागरुकताः (उ.प्र.के श्रावस्ती जनपद के महिलाओं पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन). Journal of Research & Development, 18(1(A)), 145–149. https://doi.org/10.5281/zenodo.18617884

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.18617884
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

जिन लोगों नें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति न केवल सचेत किया बल्कि समाज में व्याप्त व सदियो से चली आ रही शोषणकारी, पाखण्डपूर्ण व्यवस्था का पर्दाफाश करते हुए उसे विध्वंस करने का प्रयत्न किया। गॉधी जी ने सन् 1930 में 'यंग इडिया' के एक अंक में लिखा है–

"नारी को अबला कहना अधर्म है। यह पाप है, जो नारी के विरूद्ध पुरूष के द्वारा किया जाता है, नारी को किसी भी परिस्थिति में डरना नही चाहिए उसके पास विशाल शक्ति है, वह किसी से कम नहीं।"[1]

सिमोन द बुआ अपनीं पुस्तक **द सेकेण्ड सेक्स में कहती हैं–**

" नारी जन्मती नहीं बल्कि बनायी जाती है।"[2]

स्त्री और पुरूष ईश्वर की दो संताने है ईश्वर में दोनों को समान रूप से गढ़ा है, अन्तर केवल थोड़ी सी जैविक विविधता की है सामाजिक नही, सामाजिक विविधता तो समाज ने की है। भारत के पुरूष प्रधान समाज होने के नाते सदियो से ही इन्हें विविध सुख सुविधाओं, अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है, इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, जिसका वर्णन करने मात्र से ही आँख से ऑसू आ जाता है। **जे0एस0 मिल** का मत है कि–**" किसी भी क्षेत्र में स्त्रियों को कोई भी सुविधा मिली ही नहीं इसीलिए आज स्त्रियॉ तमाम सुविधाओ की मांग कर रही है।"[3]**

स्वामी विवेकानन्द जी ने तो जोरदार तरीके से कहा है कि–**"महिलाओं की स्थिति में सुधार किए बिना जगतकल्याण सम्भव नहीं है।"[4]**

भारत के स्वतंत्रत होने के पश्चात् देश में अपनी सरकार बनीं। सरकार नें महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में लानें एवं उन्हें सशक्त बनानें के लिए अनेक विकास कार्यक्रमों का संचालन किया है तथा अनेक **नियम कानून** बना है जिससे महिलाएं भी पुरुषों के बराबर आकर साथ में कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सकें। जैसे–

1– सती प्रथा अवरोध अधिनियम (1829)
2– विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856)
3– बाल विवाह अवरोध अधिनियम (1929)
4– हिन्दू विवाह अधिनियम (1955)
5– हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956)
6– दहेज अवरोधक अधिनियम (1961)
7– पंचायतीराज अधिनियम (1993)
8– घरेलू हिंसा अधिनियम (2005)
9– कार्यस्थल पर महिला उत्पीडन अधिनियम (2013)
10– नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023) आदि प्रमुख हैं।

उक्त शोधकार्य में शोधकर्त्ता द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि सरकार द्वारा निर्मित तमाम नियम कानून के प्रति महिलाओं में जागरुकता का स्तर क्या है, वे उन तमाम अधिनियमों के बारे में जानती हैं कि नहीं, उसका लाभ उन्हे मिल रहा है कि नहीं। श्रावस्ती जनपद की महिलाओं के जीवन स्तर में क्या परिवर्तन घटित हुआ है, महिलाएं क्या वास्तविक रूप से उन तमाम नियम कानूनों से सशक्त, स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर हुई हैं, महिलाओं का इसके सन्दर्भ में क्या विचार हैं।

साहित्यावलोकन

किसी भी शोध कार्य को करनें से पूर्व शोध से सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन कर लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा करनें से शोध में त्रुटि की सम्भावना कम होती है और शोध में मौलिकता आती है।

यू0बी0 सिंह (2006) नें अपनी पुस्तक नगरीय अवस्थपना सुविधायें में लिखा है, कि नगरीय क्षेत्र में रहनें वाले लोगों के पास तमाम मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, खासकर महिलाएं अपनें तमाम अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं है।

दिव्या सिंह (2007) नें सुलतानपुर जनपद में महिला योजना व काननू का अध्ययन किया और बताया कि महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षित करके महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है।

शर्मा एवं मिश्रा (2016) नें अपनें अध्ययन में बताया कि सरकार नें महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में लानें के लिए बहुत नियम कानून बनाया है परन्तु महिलाओं को अभी समाज में वह स्थान नहीं मिल पाया है, जो उन्हें मिलना चाहिए इसका कारण उन्होंनें ज्ञान का अभाव बताया है।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोधकार्य के निम्न उद्देश्य हैं–

1– महिलाओं हेतु निर्मित संवैधानिक अधिकारों के प्रति महिलाओं में जागरूकता का पता लगाना।
2– संवैधानिक अधिकारों व अन्य कानून का महिलाओं के जीवन यापन पर क्या प्रभाव पडा है।
3– महिलाओं में आर्थिक व सामाजिक सशक्तता के स्तर का पता लगाना ।

आंकडा संकलन विधि–

प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण करनें हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का प्रयोग किया गया है प्राथमिक आंकडे साक्षात्कार अनुसूची से भरे गये हैं तथा द्वितीयक आंकडे श्रावस्ती जनपद के विविध कार्यालयों एवं विभागों से प्राप्त किए गये हैं।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

अध्ययन का समग्र व निदर्शनः–

महिला सुरक्षा अधिनियमों के प्रति महिलाओं में जागरुकता को जानने के उद्देश्य से उ0प्र0 के श्रावस्ती जनपद का चयन उददेशपूर्ण निदर्शन विधि द्वारा किया गया हैं। जनपद की सम्पूर्ण जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) 1117361 है। जिसमें पुरूष जनसंख्या 593897 महिला जनसंख्या 523464 जनपद के समस्त महिला उत्तरदात्रियों से सूचना प्राप्त कर पाना एक दुष्कर कार्य है, इसलिए शोधार्थी द्वारा अध्ययन की सुलभता एवं अनुसंधान की सीमाओं को दृष्टिगत् श्रावस्ती जनपद के तीनों तहसीलों (इकौना, भिनगा व जमुनहा) से 200 महिलाओं का चयन उदेश्यपूर्ण निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण अध्ययन कुल 200 उत्तरदात्रियों पर आधारित है।

निदर्श में चयनित महिला उत्तरदात्रियों से पूछे गये कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न–

पंचायती राज व्यवस्था के प्रति जागरूकताः–

स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण भारत के पुनर्निमाण के लिए तथा सर्वांगीण विकास के लिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना की शुरूआत की गयी और इस योजना में ग्रामीण जनता के पूर्ण सहयोग की आशा की गई, लेकिन ग्रामीण जनता ने इसको सरकारी कार्यक्रम समझकर कोई सहयोग नहीं किया जिससे यह सरकारी कार्यक्रम ही बनकर रह गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जनता का कार्यक्रम बनाने और आवश्यक जन सहयोग प्राप्त कराने के उद्देश्य से बलवन्त राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। मेहता कमेटी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायतीराज व्यवस्था का सुझाव दिया राष्ट्रीय विकास परिषद के स्वीकृति के बाद 2 अक्टूबर 1959 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज योजना का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले से कर दिया। यह योजना पूरे भारत में लागू हो गयी। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने और सभी राज्यों में नियमित चुनाव कराने के उद्देश्य से सन् 1993 में पंचायतीराज व्यवस्था में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिससे संविधान में एक नया भाग 9 व एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई और इसी संशोधन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई।[5] तभी से 1/3 सीटों पर महिलाएं ही चुनाव लड़ रही हैं। प्रस्तुत अध्ययन में पंचायतीराज व्यवस्था के बारे में उत्तरदात्रियों के जागरुकता का विवरण प्रस्तुत किया गया है–

सारिणी संख्या– 1

पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जागरूकता के आधार पर उत्तरदात्रियों का वर्गीकरणः–

क्रम संख्या	पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानती हैं	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	80	40
2	नहीं	120	60
	योग–	**200**	**100.00**

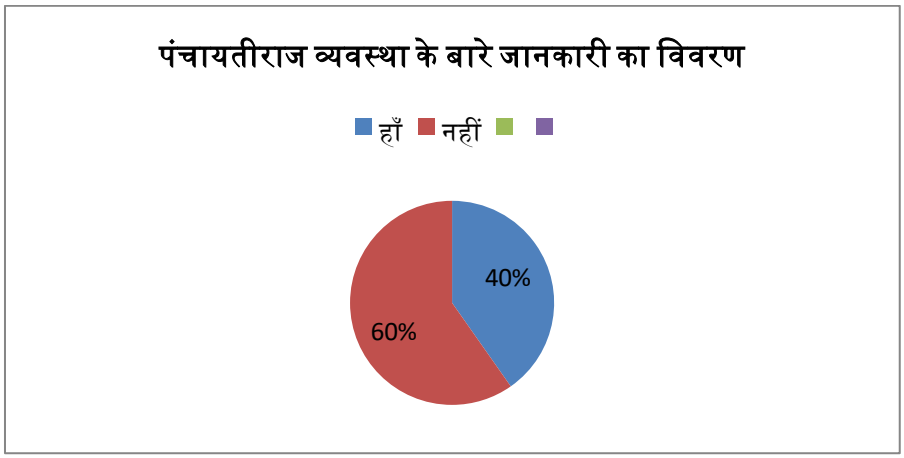

ग्राफ संख्या– क

उपरोक्त सारिणी के आधार पर स्पष्ट होता है, कि अध्ययन में सम्मिलित मात्र 40 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ ही पंचायतीराज व्यवस्था के बारे में जानती हैं, जबकि 60 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की एक बृहद आबादी पंचायतीराज व्यवस्था से अनभिज्ञ है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है, कि पंचायतीराज व्यवस्था के प्रति अध्ययन क्षेत्र की उत्तरदात्रियॉ कम जागरूक हैं।

दहेज अधिनियम के बारे में जागरूकताः–

दहेज की मात्रा में हो रहे बेतहासा वृद्धि की दर को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सन् **1961 में दहेज अवरोधक अधिनियम** पारित कर दहेज के लेन देन पर प्रतिबन्ध लगा दिया और यह व्यवस्था कर दिया कि जो दहेज लेगा या देगा उसे अर्थदण्ड सहित जेल भेज दिया जायेगा। उत्तरदात्रियों के दहेज अवरोधक अधिनियम के बारे में जानकारी को निम्न सारिणी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है–

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

सारिणी संख्या– 2

दहेज अवरोधक अधिनियम के बारे में जागरूकता के आधार पर उत्तरदात्रियों का वर्गीकरणः–

क्रम संख्या	दहेज अवरोधक अधिनियम के बारे में जानती हैं	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	53	26.50
2	नहीं	147	73.50
	योग–	**200**	**100.00**

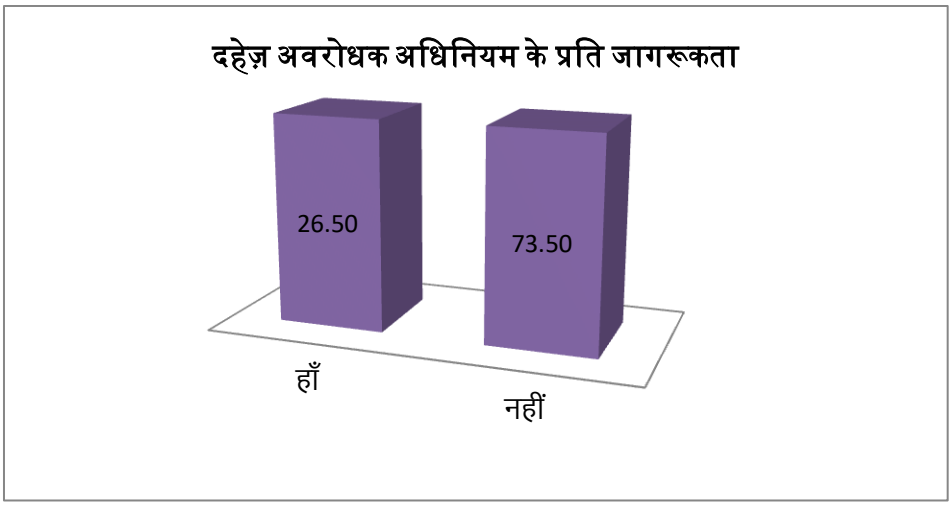

ग्राफ संख्या– ख

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है, कि अध्ययन में सम्मिलित मात्र 26.75 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ ही दहेज अवरोधक अधिनियम के बारे में जानती हैं और 73.25 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ दहेज अवरोधक अधिनियम के बारे में नही जानती। निष्कर्षतः कहा जा सकता है, कि अध्ययन क्षेत्र की सर्वाधिक उत्तरदात्रियॉ दहेज अवरोधक अधिनियम के बारे में जागरूक नही हैं।

घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जागरूकताः–

घरेलू हिंसा समूचे भारत में होती है, इसे महिला पुरुष दोनों पारिवारिक जीवन के एक वैध हिस्से के रुप में स्वीकार करते हैं। यह महिला पुरुष के बीच भेदभाव को मजबूत करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान भारत में घरेलू हिंसा के मामलों की संख्या दोगुना हो गई।[6] इस समस्या से भारत की अधिकांश महिलाएं त्रस्त हैं और हिंसा उत्पीड़न की शिकार हैं। देश की महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न, अत्याचार से निजात दिलाने के लिए सन् 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित कर उनको स्वतंत्रता एवं सम्मानपूर्वक जीनें का सुअवसर प्रदान किया, जिससे कि महिलाएं घर में प्रताड़ित, उत्पीड़न न की जाये वे भी पुरूषो की तरह घर में चैन की नीद सो सकें। इसी क्रम में अध्ययन में सम्मिलत उत्तरदात्रियों से घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी के सम्बन्ध में सूचना संकलित कर सूचनाओं का विश्लेषण निम्न सारिणी के माध्यम से किया गया है–

सारिणी संख्या–3

घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता के आधार पर उत्तरदात्रियों का

क्रम संख्या	घरेलू अधिनियम के बारे में जानती हैं	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ पूर्णतः	56	28.00
2	आंशिक रूप से	19	9.50
3	बिल्कुल नहीं	125	62.50
	योग–	**200**	**100.00**

वर्गीकरण से स्पष्ट होता है, कि अध्ययन में सम्मिलित मात्र 28 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ ही घरेलू हिंसा के बारे में जानती हैं, जिसमें सामान्य जाति का प्रतिशत सर्वाधिक 29 रहा। 9.50 प्रतिशत थोड़ा–बहुत जानती हैं, जबकि सर्वाधिक 62.50 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानती ही नही हैं सबसे अधिक जागरुकता का अभाव अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की उत्तरदात्रियों में है, जिसका कारण इस जाति में शिक्षा का स्तर सबसे निम्न होना हो सकता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है, कि अध्ययन क्षेत्र की सर्वाधिक उत्तरदात्रियाँ घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी से अनभिज्ञ हैं।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

सारिणी सं– 4

उत्तरदात्रियों का सरकारी सहायता हेतु संचालित हेल्पलाइन नम्बर के प्रति जागरूकता के आधार पर वर्गीकरणः–

क्रम संख्या	विविध हेल्पलाइन नम्बर	हाँ		नहीं		योग	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	1090	52	26	148	74	200	100.00
2	1076	51	25.50	149	74.50	200	100.00
3	100 / 112	153	76	47	24	200	100.00
4	102 / 108	137	68.50	63	31.50	200	100.00
5	181	24	12.00	176	88.00	200	100.00
	योग–	**417**	**41.70**	**583**	**58.30**	**1000**	**100.00**

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है, कि अध्ययन में सम्मिलित मात्र 26 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ 1090 हेल्पलाइन नम्बर के बारे में जानती हैं, जबकि 74 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ इससे अनभिज्ञ हैं। वही 25.50 प्रतिशत 1076 के बारे में जानती हैं, जबकि 74.50 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ 1076 के बारे में नहीं जानती हैं। वहीं बात अगर 100 नम्बर व 112 नम्बर की की जाय तो अध्ययन में सम्मिलित सर्वाधिक 76 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ इस नम्बर से चित परिचित हैं। मात्र 24 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ ऐसी हैं, जिन्हें इस नम्बर के बारे में जानकारी का अभाव है। वहीं सरकारी एम्बुलेंस 102 एवं 108 का अध्ययन करने पर पता चला कि 68.50 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ सरकारी एम्बुलेंस के हेल्पलाइन नम्बर को जानती हैं। मात्र 31.50 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ ही हैं जिन्हें एम्बुलेंस के नम्बर के बारे में जानकारी नही है। वहीं महिला उत्पीडन सुरक्षा हेल्प लाइन नम्बर 181 के बारे में जानने का प्रयास किया गया तो पता चला कि समस्त उत्तरदात्रियों में से मात्र 12 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ ही इस हेल्प लाइन नम्बर के बारे में जानती हैं और एक बृहद आबादी 88 प्रतिशत की इस नम्बर के जानकारी से अनभिज्ञ है। अगर सम्पूर्ण नम्बरों की जानकारी का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाय तो अध्ययन में सम्मिलित 41.70 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ विविध हेल्प लाइन नम्बर के बारे में जानती हैं और 58.30 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ इन तमाम सरकारी सहायता हेल्प लाइन नम्बरों से अनभिज्ञ हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त सभी सारिणी के माध्यम से स्पष्ट होता है, कि श्रावस्ती जनपद के महिलाओं को विविध अधिनियमों व कानूनों के प्रति जागरुकता की काफी कमी है, यदि डायल 112 पुलिस व्यवस्था को छोड दिया जाय तो अन्य तमाम कानूनों के बारे में बहुत कम महिलाएं जानती हैं। इसका कारण जनपद में शिक्षा का स्तर काफी निम्न होना है। इससे वे आज भी अपनें अधिकारों का फायदस उठा पानें से काफी दूर है।

सुझाव

बेसक महिलाओं हेतु बनें तमाम कानून व अधिनियमों से महिलाएं स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर व सशक्त बन रही हैं, जिससे एक सशक्त देश का निर्माण हो रहा है। महिलाए पुरुषों के साथ चलनें का प्रयास कर रही हैं, लेकिन श्रावस्ती जनपद में महिला शिक्षा का स्तर जनगणना 2011 के अनुसार मात्र 35 प्रतिशत ही है जो उ0प्र0 में सबसे निचले पायदान पर आता है। यहाँ की अधिकांश महिलाएं न तो संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानती हैं और न ही सुरक्षा कानून के बारे में तो जबतक वें अपनें अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानेंगी ही नही तो उसका सदउपयोग कैसे करेंगी। इसलिए जरूरी है, कि श्रावस्ती जैसे अति पिछडें जनपदों में कोई भी विकास कार्यक्रम या योजना सरकार द्वारा चलाया जाय या अब तक जो भी नियम कानून बनें हैं या आगे बनें तो उसका घर–घर उसका प्रचार प्रसार कराया जाय, उसके फायदे के बारे में महिलाओं को चित परिचित कराया जाय। क्योंकि जबतक शत् प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी किसी कार्यक्रम में सुनिश्चित नहीं होगी वें अपनें अधिकार व कर्तव्य के बारे में जानेगी नहीं तबतक किसी भी कार्यक्रम को सफल बना पाना सम्भव नही होगा और न ही महिलाएं सशक्त हो पायेंगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गॉधी, एम. के (1930) ''यंग इडिया''
2. सीमोन द बुआ (1988) ''द सेकेण्ड सेक्स''
3. खेतान, प्रभा (2004) ''स्त्री उपेक्षिता'' हिन्दी पॉकेट बुक नई दिल्ली, पृ. 75–100
4. डॉ. अमरनाथ (2005) '' नारी मुक्ति का संघर्ष'' लाजपत नगर नई दिल्ली पृ–40
5. https://en.wikipidea.org/wiki/panchaytiraj.in.india
6. कुमारी रंजना (2021) ''स्त्री हत्या की रोकथाम'' योजना पत्रिका सितम्बर 2021 पृ–6
7. सिंह रजनी (2019) '' महिला विकास कार्यक्रम एवं योजनाएं'' शोध प्रबन्ध काशी हिन्दू वि. वि. वाराणसी
8. त्यागी एम. (2022) ''महिलाओं का संवैधानिक अधिकार एवं कानूनों के प्रति जागरुकता'' शोध पत्र जे.आर.एच.एस. पृ– 151–154
9. https://censusofindia.gov.com https://nicshrawasti.in
10. Goode and Hatt. (1952) ''Methods of Social Research.'' Mcgraw Hill Book Co, New York, p. 10-20.
11. Young, Hsin Pao. ''Fct People with Rural People.'' p. 36-37.
12. Ahuja, Ram. (2015) ''Social Research.'' Rawat Publications, Jaipur, p.80-100.